# <u>अधिसूचना</u>

''उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड'' द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ ''आवासीय विद्यालय योजना'' की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन के अनापत्ति संबंधी आदेश संख्या : 04/छत्तीस–2–15–67/14 दिनांक 23.02.2015 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **''आवासीय विद्यालय योजना''** अधिसूचित की जाती है।

उपयुर्क्त के अनुक्रम में उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

भवदीय

(एस0डी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

**<u>कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लेखराज मार्केट–2 द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ।</u>**

पत्रांकः 7725–31/भ0नि0बो0(853)–15 दिनांकः– 26.02.2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपयुर्क्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 04/छत्तीस–2–15–67/14, दिनांक 23.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक – यथोक्त।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड।